

॥ कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर ॥

क्रमांक/स्था./2026/ 1253

दिनांक :-

12 JAN 2026

:: आदेश ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्र जी/आई/ए-4(i)(a)130/ 13/02 दिनांक 05.01.2026 के द्वारा इस न्यायक्षेत्र में श्री दशरथ सिंह, सेवानिवृत्त लिपिक ग्रेड प्रथम की संविदा सेवा लिपिक ग्रेड द्वितीय के रिक्त पद के विरुद्ध लिये जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

अतः सेवानिवृत्त कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में लिपिक ग्रेड द्वितीय के रिक्त पद के विरुद्ध, पुनर्नियुक्ति के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अधीन राजस्थान सेवा नियम के नियम 164-ए के तहत, कॉलम संख्या-5 में अंकित प्रतिमाह देय समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति प्रथम बार एक वर्ष के लिए अथवा नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने की तिथि में से जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिये निम्न शर्तों के अधीन पुनर्नियुक्ति प्रदान की जाकर, पदस्थापित किया जाता है :-

क.सं.	नाम सेवानिवृत्त कार्मिक	पदस्थापन कार्यालय का नाम	कार्यव्यवस्था कार्यालय का नाम	प्रतिमाह देय समेकित पारिश्रमिक
1	2	3	4	5
1.	श्री दशरथ सिंह, से.नि. लिपिक ग्रेड प्रथम	अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 1, अलवर	अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 2, अलवर	18,100/-

पुनर्नियुक्ति की शर्त:-

- समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक एक वर्ष में 12 दिवस वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे राजस्थान सेवा नियम, 1951 के अधीन उपार्जित अवकाश या अन्य किसी प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1/30 भाग काटा जायेगा।
- राजकीय कार्य से यात्रा करने पर यात्रा भत्ता कार्मिक(क-2) विभाग के संशोधित परिपत्र क्रमांक एफ.17(10) डीओपी/ए-11/94 दिनांक 26.06.2019 के अनुक्रम में राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971 के नियम 5(4) के प्रावधान के अनुसार अनुज्ञात होगा।
- पुनर्नियुक्ति सेवाएं 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेंगी।
- राजकीय हित में पुनर्नियुक्ति की अवधि एक वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो, तक अभिवृद्धि आपसी सहमति से की जा सकेगी।
- पुनर्नियुक्ति के दौरान दूरभाष/मोबाईल/इन्टरनेट व्यय का पुनर्भरण अनुज्ञेय नहीं होगा।
- पुनर्नियुक्ति अवधि के दौरान कोई चिकित्सा व्यय पुनर्भरण अनुज्ञेय नहीं होगा।

नोट:-

- उपरोक्त सेवानिवृत्त कार्मिक को इस आदेश की प्राप्ति के 07 दिवस के अन्दर संबंधित पदस्थापन कार्यालय में उपस्थिति देनी होगी, अन्यथा उसका पुनर्नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- उक्त आदेश में अंकित संविदा कार्मिक के संबंध में पीठासीन अधिकारी को निर्देश है कि कार्मिक द्वारा उनके कार्यालय में उपस्थिति देने पर उसे तुरन्त प्रभाव से कार्यव्यवस्था कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें।
- पीठासीन अधिकारी को निर्देश है कि वे संबंधित सेवानिवृत्त कार्मिक की उपस्थिति रिपोर्ट की प्रति नियमानुसार इस कार्यालय को भिजवावे।

(अनन्त भण्डारी)

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अलवर

क्रमांक: स्था/2026/ 1254-69

दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 1, अलवर
- अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 2, अलवर
- लेखाशाखा/रक्षित पत्रावली
- संबंधित से.नि. कर्मचारी श्री दशरथ सिंह, से.नि. लिपिक ग्रेड प्रथम
- सिस्टम ऑफिसर को जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित न्यायालय को ई-मेल करने हेतु।

(अनन्त भण्डारी)

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,